

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:- 35 / 2026

- 1 सुभाष पुत्र पालाराम } जाति मेघवाल निवासीयान रामपुरा उर्फ रामसरा
2 विकास कुमार पुत्र पालाराम } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

बनाम्

वादीगण

- 1 पालाराम पुत्र रामरख जाति मेघवाल निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2 शारदा पुत्री पालाराम पत्नी कुलदीप जाति मेघवाल निवासी ललानाबास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 15/4/26.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- प्रतिवादी सं० 1 के नाम से चक नं० 3 आर. डबल्यू डी के खाता सं० 27/27 में अंकित कुल 5.5660 है० कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै०मु० आराजी में से अपने 174/2783 हिस्सा तथा चकनं० 3 डीबीएल के खाता सं० 32/26 में अंकित कुल 9.715 है० मे से पालाराम के नाम की 1/16 हिस्सा में से 0.530 है० आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व चक न० आर.डबल्यू डी के खाता सं० 27/27 में से पालाराम का नाम कलमजन व चकनं० 3 डीबीएल के खाता सं० 32/26 में से पालाराम का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व तहसीलदार टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सत्यनारायण आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।